केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआऊट, मडिवाला
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala
बेंगलूरु Bangalore - 560068

सं. केरेबो-13/(1)/2016-2017/लेखा

दिनांक : 14.03.2017

हिन्दी रूपान्तर

परिपत्र

विषय : व्यय के विभिन्न मद उपगत करने के लिए वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में ।

--**-**

भारत सरकार ने अधिसूचना सं. जीएसआर 750(ई), नई दिल्ली दिनांक 03.10.2011 के माध्यम से बोर्ड की वित्तीय शक्ति ₹ 10.00 लाख से ₹ 50.00 लाख तक बढ़ाई, केरेबो नियमावली 1955 के खण्ड-22(3) के अनुसार बोर्ड वित्तीय शक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य-सचिव अथवा बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित करें, जैसा वह ठीक समझे ।

उपरोक्त के फलस्वरूप केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने बेंगलूरु में 15.02.2017 को सम्पन्न बैठक में पुनरीक्षण की शर्त पर विभिन्न आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के मद उपगत करने हेतु बोर्ड के विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए अनुमोदन दिया ।

तद्नुसार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के विभिन्न अधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का संशोधित प्रत्यायोजन अनुबंध-I में संलग्न है जो उपरोक्त विषय पर पहले के परिपत्र संख्या केरेब्रो-13(1)/2002-03/लेखा दिनांक 03 जुलाई, 2002 तथा समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण के अधिक्रमण में है । उक्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने से पहले अनुबंध-I के नोट में दिए गए बिन्दुओं पर सभी संबंधित का विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते समय सभी संबंधित सरकार द्वारा किसी विशेष मद पर व्यय उपगत करने के संबंध में जारी कार्यविधि, जांच तथा अन्य शर्तें तथा अनुदेशों का विधिवत पालन किया जाएगा ।

केरेबो के संस्थानों/इकाईयों को सामान्य वित्तीय नियम के प्रावधान, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश, वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन संबंधी नियम, संगत नियम तथा तत्संबंधी अनुदेश, सामान्य मितव्ययिता अनुदेश तथा मंत्रालय/केन्द्रीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी अन्य संबद्ध दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना होगा ।

प्रत्येक केरेबो इकाई को वैज्ञानिक/तकनीकी/प्रशासनिक/लेखा तथा वित्त अधिकारी, उपलब्धता के अनुसार, को शामिल करते हुए विद्यमान नियमों तथा विनियमों, अनुदेशों आदि के अनुसार सिविल कार्य/ली गई सेवा संबंधी प्रस्ताव की जांच तथा किसी भी मद के प्रापण के लिए कार्य समिति तथा

.....2

क्रय समीक्षा समिति गठित करनी चाहिए ।

सभी निविदा दस्तावेजों में कार्य/क्रय/सेवा आदि के आधार पर उचित रूप में संविदा के सामान्य शर्तों/संविदा की विशिष्ट शर्तों को अपनाना चाहिए । सभी निविदा सदस्य-सचिव, केरेबो/संबंधित संस्थान के निदेशक, जैसा मामला हो, के नाम से आमंत्रित करना चाहिए । आगे परिपत्र सं. केरेबो-3(76)/99-आंलेप दिनांक 09.07.1999, परिपत्र सं. 28(2)/99-प्रशा दिनांक 20.08.1999 तथा परिपत्र सं. 28(12)/भण्डार/खण्ड-III/प्रशा. दिनांक 18.10.2016 में निहित क्रय कार्यविधि का सख्ती से अनुपालन किया जाए । निविदा को अनिवार्यत: जीएफआर के नियम सं. 162 के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार सीपीपीपी पोर्टल के अलावा केरेबो/संस्थान के वेबसाइट में अपलोड करना जरूरी है ।

पुस्तकालय पुस्तकों के क्रय के संबंध में केन्द्रीय कार्यालय ने पत्र सं. केरेबो-31(2)/(एमआईएस-पुस्तक)/95-96-असअ खण्ड-I दिनांक 19.03.1996 के माध्यम से प्रत्येक संस्थान द्वारा खरीदने के अन्तर्राष्ट्रीय जर्नलों की अनुमोदित सूची परिचालित की थी तथा तत्संबंधी अनुपालन करने की कार्यविधि स्पष्ट की गई थी जिसे पुस्तकें खरीदते समय देखा जाए । उपरोक्त अनुमोदित सूची के अलावा कोई अतिरिक्त पुस्तक खरीदने के लिए केन्द्रीय कार्यालय, बेंगलूरु से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना जरुरी है ।

रसायन, उर्वरक तथा रोगाणुंनाशी खरीदने के संबंध में परिपत्र सं. केरेबो-31(2)/टीसी/इनपुट/1996-97/असअ दिनांक 09.02.1999 का संदर्भ लिया जाए और तद्नुसार कार्रवाई की जाए ।

अनुबंध-I के मद सं. 14 में इकाई/संस्थान में यदि वैज्ञानिक-डी/संयुक्त सचिव, संयुक्त निदेशक तथा समतुल्य पद नहीं है तो ऐसे मामलों में उनको दी गई शक्तियों का प्रयोग उपनिदेशक/सहायक निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।

एक निविदा पूछताछ के माध्यम से उपगत करने के व्यय के मामले में, इसका अनुमोदन/स्वीकृति मात्र सदस्य सचिव तथा ऊपर के स्तर से किया जाएगा ।

आंतरिक जाँच तथा आंतरिक नियंत्रण उपाय प्रभावी बनाने के लिए बढ़ाये गए प्रत्यायोजन के अन्तर्गत सभी व्यय प्रस्ताव वित्त/लेखा/प्रशासनिक कक्ष में संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक (प्र व ले)/सहायक निदेशक (प्र व ले), जैसा भी मामला हो, द्वारा जाँच किया जाएगा ।

पुन: सभी संबंधित से आशा की जाती है कि वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रयोग करते समय निर्धारित कार्य प्रणाली का अनुपालन किया जाए ।

नागेश प्रभु

(डॉ. एच. नागेश प्रभु)
सदस्य सचिव

संलग्न : यथोपरि ।
सेवा में